CHANDIGARH ADMINISTRATION
ON THE INTERNET
http://chandigarh.nic.in/

Regd. No. CHD/0131/2015—2017

Price : Rs. 3.00

GOVERNMENT OF INDIA

Chandigarh Administration Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2016 (ASVINA 8, 1938 SAKA)

DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT

Notification

The 30th September, 2016

No. 6/1/203-FII(8)-2016/9199.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 38 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, read with notification No. S.O. 2325 (E) of 6th July, 2016 by Ministry of Home Affairs, Government of India, the Administrator of Union Territory, Chandigarh, being the appropriate Government, is pleased to frame the **Scheme for the Street Vendors in the Union Territory of Chandigarh**, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Chandigarh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.—(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending), Act, 2014 (7 of 2014) ;

(b) "Annexure" means an annexure appended to this Scheme ;

(c) "Form" means a form appended to this Scheme ;

(d) "rule" means rules made under section 36 of the Act ;

(e) "section" means a section of the Act ;

(f) "Schedule" means a schedule appended to the Act or the rules, as the case may be ;

2. Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act and the Rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Rules, as the case may be.

CHAPTER II

MANNER OF CONDUCTING SURVEY

3. **Manner of Conducting Survey.**—(1) The Town Vending Committee (TVC) shall, within a period of six months from the date of commencement of scheme, conduct and complete a survey to all existing street vendors, within the area under its jurisdiction, by holding spot verification, and collect particulars as specified in **Form-I** :

Provided that the survey may be conducted and completed zone wise or ward wise or area wise as is deemed appropriate by the Town Vending Committee (TVC):

Provided further that the survey shall not be deemed complete unless the same is placed before the TVC and is approved by it.

(2) The TVC shall publicise through local newspapers and by notices at prominent places in the markets mentioning the date of survey, area to be covered, the nodal officer of the survey, date and time of commencement and end of the survey, the need to be present at the vending sites along with the necessary documents etc.

(3) The TVC shall conduct survey at a suitable time to ensure that all street vendors vending in the area are covered in the survey.

(4) The TVC shall conduct, monitor and supervise the survey and carry it out by undertaking comprehensive digitalized photo-biometric census, GIS mapping of the location of existing vendors with the assistance of Municipal Corporation/professional research based organizations/experts/NGOs as per need.

(5) The survey form shall be computer generated with unique barcode/ID **(AADHAR Linked)** and an acknowledgement receipt containing the details as specified in **Form No. I** shall be given on the spot to the street vendor.

(6) The survey shall be video-graphed and still photographs of the street vendor and his vending site shall be taken which shall form part of the survey registration.

(7) The TVC shall maintain a register as specified in **Form-II** covering details of street vendors identified in the survey including the date of survey and the place of survey in digital format :

Provided that until a digital format for maintaining the register is not available, the details shall be maintained in a manual register, which shall not be for a period more than one year from the date of commencement of the scheme.

CHAPTER III

Issue of Certificate of Vending

4. **Certificate of Vending to street vendors.**—(1) The street vendor identified by the survey shall be issued a certificate of vending within a period of three months from the date of completion of survey on payment of fee specified by Local Authority which shall be in a form as specified in Form-III :

Provided that if the TVC deems fit it may issue the certificate of vending zone wise or ward wise or area wise after the completion of the survey for that zone or ward or area as the case may be.

(2) Subject to the provisions of the Act and the provisions contained in the Scheme, the Town Vending Committee shall, as far as practicable, ensure that all existing street vendors identified in the survey conducted under sub para (1) are accommodated in the same vending zone.

(3) Where the number of street vendors, identified in the survey are more than the holding capacity of the vending zone and exceeds the number of persons which can be accommodated in that vending zone, the TVC shall carry out a draw of lots for issuing certificate of vending for the vending zone and the remaining persons shall be accommodated in any adjoining vending zone to avoid relocation.

(4) Where, in the intervening period between two surveys, any person seeks to vend he shall make an application in the manner as specified in **Form-IV** and the TVC may grant a certificate of vending to such person, subject to the provision made in the plan for street vending and the holding capacity of the vending zones :

Provided that where subject to the plan for street vending and the holding capacity of the street vending zones, it is not possible to accommodate the said persons, the TVC shall issue a computer generated acknowledgement of application with a unique barcode/ID specifying waiting list number to such persons whose application is accepted:

Provided further that when there arises a possibility of accommodating the said persons in a vending zone the TVC shall issue certificate of vending in a serial order as per the waiting list specified under the first proviso:

Provided also that the persons whose application is rejected shall be communicated about the rejection along with reasons for such rejection.

(5) The TVC shall maintain a register as specified in **Form-V** with details of street vendors who have been registered as a new vendor based on the waiting list specified under para-4 above.

(6) The certificate of vending shall be issued for a period of three years from the date of issue unless revoked.

(7) The TVC shall maintain a register as specified in **Form-VI** with details of street vendors who have been issued certificate of vending.

5. **Criteria for issue of certificate of Vending.**—(1) The following criteria shall be adopted for issuing certificate of vending to vendors, namely:—

(i) his name should appear in the survey carried out by the TVC or has applied for a certificate of vending;

(II) he has no other means of livelihood;

(iii) he has completed the age of fourteen years on the date of issue of certificate of vending;

(2) In case of death or disability of the street vendor as specified under sub section (2) of section 5 of the Act, the nominee of the street vendor shall intimate the TVC about such death, disability or illness and the TVC shall make necessary corrections in the certificate of vending and issue an identity card accordingly.

6. **Terms and Condition for certificate of vending.**—The street vendor to whom a certificate of vending is issued:—

(i) Shall carry on the business of street vending herself or though his family member;

(ii) Shall vend only from his allotted space in case of stationary vendor and from his allotted area in case of mobile vendor and pay vending fees as determined by Local Authority;

(iii) Shall abide by all conditions specified by the TVC at the time of issue of certificate of vending including maintenance of cleanliness and public hygiene; maintenance of civic amenities in vending zone in good condition; payment of maintenance charges etc.;

(iv) Shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending or the place specified therein to any other person;

(v) Shall not construct any permanent structure on allotted space, unless permitted by the certificate of vending;

(vi) Shall carry on vending activities on such date and time as specified in the certificate of vending;

(vii) Shall remove her goods and wares every day at the end of the time-sharing period, when she occupies space on time sharing basis;

(viii) Shall comply with such other conditions as may be specified by the TVC in the certificate of vending issued to the street vendor.

7. **Format of Identity card.**—(1) Every person who is holding a certificate of vending shall be issued an identity card by the TVC.

(2) The identity card to be issued or renewed, as the case may be, to the street vendor shall be in form-VII.

(3) In case of loss or damage of identity card the street vendor may apply for issue of duplicate identity card to the office of TVC accompanied by copy of FIR and fee as specified by local authority.

CHAPTER-IV

RENEWAL, SUSPENSION AND CANCELLATION OF CERTIFICATE OF VENDING

8. **Renewal of the certificate of vending.**—(1) The certificate of vending may be renewed after every 3 years on payment of such fee as specified by the local authority and on fulfilment of conditions specified in the Scheme and subject to the provision of the Act and the Rules made there under.

(2) The street vendors whose validity of certificate of vending is about to expire shall apply for renewal of the certificate of vending to the TVC two months prior to the expiry of the period of certificate of vending in the manner as specified in Form-VIII.

(3) The TVC shall publish a defaulter list of street vendors who fail to pay the renewal fees of certificate of vending.

(4) The TVC may grant one month grace period for the payment of renewal fee without any penalty.

(5) After the expiry of one month, from the time the renewal of the certificate of vending becomes due, the certificate of vending may be renewed on payment of such renewal fees and penalty for every day of the delayed period as specified by the local authority.

(6) If the street vendor fails to renew his certificate of vending within three months of the lapse of the certificate of vending, the TVC may cancel his certificate of vending.

9. **Manner in which certificate of vending may be suspended or cancelled**—(1) The TVC may cancel or suspend the certificate of vending of any street vendor on any of the grounds specified under section 10 of the Act.

(2) Where the TVC, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that pending the questions of cancellation of the certificate of vending on any of the grounds mentioned in Section 10 of the Act, it is necessary to suspend the street vendors from the vending activities for such period not exceeding thirty days as specified in the order and require such street vendor to show cause within fifteen days from the date of issue of the order, as to why the suspension of vending activities should not be extended till the determination of the question of cancellation of such certificate of vending:

Provided where the TVC, upon hearing the street vendor, is of the opinion that the certificate of vending should be cancelled, it may order cancellation of such certificate of vending.

(3) Where the TVC has made an order cancelling the certificate of vending of a street vendor, such vendor shall surrender his certificate of vending and identity card to the TVC within the period as specified in such order of cancellation and his name shall be struck off from the register maintained for the purpose.

CHAPTER-V

FEES, RECORDS AND AUDIT

10. **Vending Fees.**—The Town Vending Committee shali fix vending fees depending on the category of street vendors, the status of the market and the foot fall of the area, which may be different for different areas in the city of Chandigarh.

11. **The manner of collecting vending fees, maintenance charges and penalties.**—(1) For the purpose of money, whether as a fee or fine or penalty, payable by the street vendors under the Act, Rules and the scheme, Municipal Corporation shall open a bank account in any scheduled bank which shall be operated by such officer of the local authority as the local authority may direct.

(2) The street vendor may deposit the fees and such other dues in that account with his name and registration number allotted to him and may also be paid in a counter opened for the purpose in the office of the local authority or such other place as the local authority may direct from time to time.

12. **Maintenance of record and audit.**—The account of each TVC shall be audited in accordance with the provisions of the relevant Municipal law of the local authority.

CHAPTER-VI

CATEGORIES OF STREET VENDORS

13. **The Categories of street vendors other than stationary vendor and mobile vendor.**—The TVC may designate any other category of street vendor other than stationary vendor or mobile vendor operating from the area under its jurisdiction.

CHAPTER-VII

RELOCATION AND EVICTION OF STREET VENDORS

14. **Principles of relocation.**—The Principles of Relocation of street vendors shall be those as provided under Entry (zb) of the Second Schedule of the Act.

15. **Manner of relocating a street vendor.**—(1) Where the TVC recommends to declare a vending zone or part of it to be a no vending zone under sub section (1) of section 18 of the Act and for relocation of street vendors vending in that zone, the local authority shall, as far as practicable rehabilitate the street vendor within the same area or relocate in or nearby vending zone.

(2) The TVC shall, as soon as it recommends declaring a vending zone or part of it to be no vending zone under section 18 of the Act, carry out a survey to identify a suitable site for the street vendors as per Entry (zb) of the Second Schedule of the Act.

16. **Notice for relocating or eviction of a street vendor.**—(1) The notice for relocation or eviction, as the case may be, required under sub section (3) of section 18 of the Act, shall be served personally or by a registered post in the name of the street vendor prior to the eviction.

(2) In case the registered post is returned undelivered, the said notice shall be pasted in a conspicuous place in the area where the street vendor is carrying on his vending activity, which shall be deemed to be service of the said notice.

17. **Manner of relocating or evicting a street vendor physically.**—(1) If the street vendor fails to vacate the place or shift to relocated place within the period of thirty days, from the receipt of notice as per section 15, the local authority may cause the physical removal, if necessary with assistance of police, of the street vendors and seize the goods of such street vendor by an officer authorized by the local authority in this behalf.

(2) Any person who carries on business of vending activities without having a certificate of vending or whose certificate of vending has been cancelled under section 10 of the Act shall be evicted by giving twenty four hours notice in writing delivered in hand and if such street vendor does not vacate the place within the said period of twenty-four hours notice in writing delivered in hand the local authority, may cause the physical removal, if necessary with the assistance of police, of the street vendor and seize the goods of such street vendor by an officer authorized by the local authority in this behalf.

(3) Every street vendor who fails to relocate or vacate the place specified in the certificate of vending, after the expiry of the period specified in the notice, under sub para (1) or sub para (2) as the case may be, shall be liable to pay for every day of such default, such penalty as may be determined by the local authority, which shall not be more than the value of goods seized.

CHAPTER-VIII

SEIZURE OF GOODS

18. **The manner of seizure of goods by the local authority.**—In case of seizure of goods of a street vendor under sub-section (1) of section 19 of the Act, the following shall be taken into consideration by the local authority, namely :—

(i) Only the officer authorized for this purpose from the local authority shall conduct seizure of goods;

(ii) The list of goods so seized shall be made and signed by the said officer and co-signed by the vendor; and

(iii) The street vendor whose goods are seized should be given a proper receipt in the manner specified in **Form-IX** by the local authority.

19. **Manner of reclaiming seized goods and fees thereof.**—The street vendor whose goods have been seized may reclaim seized goods if street vendor makes a claim within two working days and pays such fee as may be specified by the local authority.

CHAPTER-IX

MISCELLANEOUS

20. **Manner for carrying out social audit under sub section (3) of section 26 of the Act.**—The TVC shall carry out social audit of its activities at least once in a year.

21. **Terms and conditions for street vending and norms for up keeping public health and hygiene.**—(1) The local authority shall designate a proper place to dispose off the waste materials in order to maintain hygienic environment by the street vendors.

(2) The street vendors shall use proper covered dustbins to dispose of the waste materials and used water should also be disposed off in a covered container.

(3) The street vendors shall not litter the vending site and shall maintain cleanliness at the vending site.

22. **Maintenance of proper records and documents in respect of street vendors.**—(1) The TVC shall maintain the records in respect of the following matters :—

(i) details of agenda papers and minutes of the meetings of the TVC;

(ii) survey procedure, updated database (including in digital format and also the documents submitted for the identity and address) and final reports;

(iii) details of the allotment and relocation of sites to the street vendors;

(iv) all the decisions of the appellate committtee and grievance redressal committee;

(v) details of certificate of vending and identity cards issued; and

(vi) papers for initiating five yearly survey.

Explanation.—For the purpose of this sub-para the records of the survey outcomes and the allotment of sites, certificates of vending and identity cards shall be considered to be of permanent nature.

(2) The appellate committee shall maintain the records relating to the appeals filed before it.

(3) The grievance redressal committtee shall maintain the records relating to the applications filed before it.

(4) The local authority shall maintain the records of seizure of goods from any street vendors, counter foil of the receipt given to the street vendors after seizure of goods, compensation paid for the seized goods and the penalty recoverd from the street vendors.

23. **Manner of carrying out vending activities on time sharing basis.**—The TVC shall determine vending activities on time sharing basis depending on the market needs.

24. **Principles of determining vending zones.**— The principles for determining the vending zones shall be based up on under Entry (3) of the First Schedule of the Act.

25. **Principles for determining holding capacity of vending zones and undertaking comprehensive census and survey.**—The principles for determining the holding capacity of the vending zones and undertaking comprehensive census and survey shall be such as may determined by the Town Vending Committee.

ANURAG AGARWAL, I.A.S.,

The 30th September, 2016.

Secretary, Local Government,
Chandigarh Administration.

5616 CCUT—Govt. Press, U.T., Chd.

CHANDIGARH ADMINISTRATION
ON THE INTERNET
http://chandigarh.nic.in/

Regd. No. CHD/0131/2015—2017

Price : Rs. 3.00

GOVERNMENT OF INDIA

Chandigarh Administration Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017 (JYAISTHA 17, 1939 SAKA)

स्थानीय सरकार विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2016

नंबर 6/1/203 –एफ 11(8) 2016/9199.—फुटकर विक्रेता (जीवन यापन एवं फुटकर विक्रेता सुरक्षा) अधिनियम, 2014 की धारा 38 की उप धारा (1) पठित सहित ग्रह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2325(ई), दिनांक 6 जुलाई, 2016 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ का प्रशासक और शासक होने के नाते, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के फुटकर विक्रेताओं के सम्बन्ध में योजना सहर्ष स्वीकार की जाती है, जो कि निम्नलिखित अनुसार है :—

अध्याय-1

आरम्भ

छोटा शीर्षक एवं शुरूआत.—(1)इस योजना को फुटकर विक्रेता (जीवन यापन एवं फुटकर विक्रेता सुरक्षा) योजना 2016 के नाम से जाना जाएगा ।

(2) यह योजना अधिकारिक गजट में प्रकाशन की तिथि से कार्यनवित होगी ।

परिभाषाएं.—इस योजना में, जो जब तक कि किसी और परिपेक्ष में आवश्यक ना हो:

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है फुटकर विक्रेता (जीवन यापन एवं फुटकर विक्रेता सुरक्षा विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम 7 वर्ष 2014) ।

(ख) 'संलग्न' का अर्थ है योजना के साथ लगाया गया संलग्न ।

(ग) 'फार्म' का अर्थ है योजना के साथ लगाया हुआ फार्म ।

(घ) 'नियम' का अर्थ है अधिनियम की धारा 36 के अधीन बनाए गए नियम ।

(ड़) 'धारा' का अर्थ अधिनियम की धारा ।

(च) अनुसूची का अर्थ है अधिनियम या नियमों के साथ लगाई गई अनुसूची, जैसा भी विषय हो ।

Scanned by CamScanner

2. यहां प्रयोग किए गए शब्द व अभिभाव प्रभाषित नहीं किए गए । परंतु अधिनियम व नियमों में प्रभाषित, जिनके अर्थ अधिनियमों या नियमों, जैसा भी मामला हो, में दी गई परिभाषांए रहेंगी ।

अध्याय–II

सर्वेक्षण करने का तरीका

3. **सर्वेक्षण करने का तरीका.**—(1) नगर की विक्रेता समिति किस योजना के आरम्भ होने से छः महीने के अन्दर सर्वेक्षण करेगी और उसे पूरा किया जाएगा, जिसमें सभी फुटकर विक्रेता शामिल होंगे, जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में आते हों । इसके लिए मौके पर जाँच की जाएगी और फार्म 1 में दिए सभी ब्यौरे एकत्रित किए जाएंगे।

बशर्ते सर्वेक्षण ज़ोन के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से, जैसा कि नगर विक्रेता समिति के द्वारा उपयुक्त समझा जाए, किया जाए और इसे पूरा किया जाए ।

बशर्ते कि जब तक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, नगर विक्रेता समिति के सामने प्रस्तुत नहीं की जाती और वह इसे स्वीकार नहीं करती, तब तक सर्वेक्षण मुक्मल नही माना जाएगा ।

(2) नगर विक्रेता समिति स्थानीय समाचार पत्रों व बाजारों में चुनिंदा जगहों पर नोटिस चिपका कर सर्वेक्षण की तिथि, इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, सर्वे के नोडल अधिकारी, आरम्भ व समापन की तिथि व समय की सूचना देगी तथा सर्वे के पूरा होने पर बिक्री के सभी स्थलों के बारे सभी आवश्यक दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए जाएगें ।

(3) नगर विक्रेता समिति उपर्युक्त समय पर सर्वे करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस क्षेत्र के सभी फुटकर विक्रेता उसमें सम्मलित हों ।

(4) नगर विक्रेता समिति सर्वे करेगी और संपूर्ण सर्वे कार्य की देख रेख करेगी और इस कार्य के लिए अधिकृत फोटो पहचान पत्र, मौजूदा विक्रेताओं की स्थिति का पता लगाकर नगर निगम, व्यवसायक अनुसंधान पर आधारित संस्थाओं/विशेषज्ञों/गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से कार्य को पूर्ण किया जाएगा ।

(5) सर्वे फार्म कम्पयूट्रीकृत होगा, जिसमें एकल बारकोड (आधार कार्ड से जोडा हुआ) और एक प्राप्ति रसीद, जिसमें सभी विवरण, जैसा कि फार्म नंबर 1 में दिए गए हैं, फुटकर विक्रेता को मौके पर दिया जाएगा ।

(6) सर्वे के दौरान फुटकर विक्रेताओं की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ लिए जाएगें । इसके इलावा उनके द्वारा बिक्री के लिए प्रयोग की जा रही जगह के भी फोटो लिए जाएगें, जो कि सर्वे रजिस्ट्रेशन का हिस्सा होगा ।

(7) नगर विक्रेता समिति फार्म-II में दिए प्रारूप के अनुरूप एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें फुटकर विक्रेताओं की पहचान से सबंधित सर्वे के दौरान एकत्रित सभी विवरण तथा सर्वे की तिथि व समय डिजीटल फारमेट में दर्ज किए जाएगें ।

बशर्ते जब तक रजिस्टर लिखने के लिए डिजीटल फारमेट मौजूद ना हो, तब तक उस रजिस्टर को हाथ से लिखा जाएगा, लेकिन यह अवधियोजना आरम्भ होने से एक वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

अध्याय–III

विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करना

4. **फुटकर विक्रेलाओं का बिक्री प्रमाण पत्र.**—(1) सर्वे के दौरान पहचान किए गए फुटकर विक्रेता को बिक्री का प्रमाण पत्र सर्वे समाप्त होने की तिथि से तीन महीने के अन्दर, स्थानीय अधिकारी द्वारा तय किए गए भुगतान पर जारी किया जाएगा, जो कि फार्म–III में दिए गए प्रारूप के अनुसार होगा ।

Scanned by CamScanner

बशर्ते यदि नगर विक्रेता समिति यह उचित समझे तो सर्वे का कार्य समाप्त होने पर विक्रेता प्रमाण पर जोन के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से जारी कर सकती है, जैसा भी मामला हो ।

(2) यह अधिनियम के प्रावधानों और योजना में दिए गए प्रावधानों पर निर्भर करेगा । जहां तक हो सके । नगर विक्रेता समिति यह सुनिशचित करेगी कि सब पैरा 1 में किए गए सर्वे के दौरान पहचान किए गए सभी विक्रेताओं को एक ही विक्रेता ज़ोन में सब पैरा (1) के अधीन रखा जाए ।

(3) जहां पर सर्वेक्षण के दौरान पहचान किए गए विक्रेताओं की संख्या विक्रेता ज़ोन की सीमा से अधिक हो और व्यक्तियों की संख्या उस विक्रेता ज़ोन के अधीन रखने योग्य संख्या से अधिक हो जाए तो नगर विक्रेता समिति उस विक्रेता ज़ोन में बिक्री के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ड्रा निकालेगी और शेष व्यक्तियों को बगल वाली विक्रेता ज़ोन में समनवित किया जाएगा, तांकि किसी प्रकार का पुनर्नियोजन ना हो ।

(4) जहां दो सर्वेक्षण के बीच की अवधि के दौरान कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र हासिल करना चाहे तो वो फार्म-IV में दिए प्रारूप के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेगा और नगर बिक्री समिति ऐसे व्यक्ति को बिक्री का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, जो कि योजना के प्रावधानों के अनुरूप होगा और बिक्री ज़ोन में लिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप होगा ।

बशर्ते जहां फुटकर बिक्री योजना के अनुसार और फुटकर बिक्री ज़ोन की सीमा के अन्दर ऐसे व्यक्तियों को सुविधा देना संभव ना हो, नगर विक्रेता समिति उक्त आवेदन की एक कम्पयुट्रिकृत प्राप्ति रसीद जारी करेगी जिस पर एक बारकोड/आई डी लगा होगा, जिसमें ऐसे व्यक्तियों का प्रतिक्षा सूचि नंबर अंकित होगा, जिनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए है ।

बशर्ते कि जब बिक्री ज़ोन में ऐसे व्यक्तियों को सुविधा देने की कोई संभावना पैदा हो तो नगर विक्रेता समिति क्रमानुसार बिक्री प्रमाण पत्र उपर दी गई प्रतीक्षा सूचि के अनुसार जारी करेगी ।

इसके इलावा बशर्ते कि वो व्यक्ति, जिसका आवेदन अस्वीकार किया गया है, को उक्त अस्वीकारता के सम्बन्ध में उसके कारण बताते हुए सूचित किया जाएगा ।

(5) नगर विक्रेता समिति फार्म-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर लगाएगी, जिसमें उन फुटकर विक्रेताओं के इन्द्राज किए जाएगें, जिनको पैरा 4 में दी गई प्रतीक्षा सूचि के आधार पर नए विक्रेता के तौर पर पंजीकृत किया गया है ।

(6) बिक्री का प्रमाण पत्र इसके जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए जारी किया जाएगा, बशर्ते इसे जब्त ना कर लिया जाए ।

(7) यह कि नगर विक्रेता समिति फार्म-VI में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर लगाएगी, जिसमें उन फुटकर विक्रेताओं के इन्द्राज किए जाएगें, जिनको विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं ।

5. विक्रेता प्रमाण जारी करने के लिए योग्यता.—(1) विक्रेताओं को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्न अनुसार योग्यता आवश्यक है ।

(i) उसका नाम नगर विक्रेता समिति द्वारा किए गए सर्वे में शामिल हो या उसने विक्रेता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया हो ।

(ii) उसके पास जीवन यापन का कोई अन्य साधन ना हो ।

(iii) उसने विक्रेता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि को 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो ।

Scanned by CamScanner

(2) फुटकर विक्रेता की मृत्यु या अपंग या बीमार होने की स्थिति में, जैसा कि अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में दिया गया है, उक्त फुटकर विक्रेता का नामित व्यक्ति ऐसी किसी मृत्यु या आपंगता या बीमारी के बारे में नगर विक्रेता समिति को सूचित करेगा और नगर विक्रेता समिति विक्रेता प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन करेगी और इस अनुसार एक पहचान पत्र जारी करेगी ।

6. **विक्रेता प्रमाण पत्र के नियम व शर्तें.**—जिस फुटकर विक्रेता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है: -

(i) वो फुटकर विक्रेता का कार्य या तो स्वयं करेगी या अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ।

(ii) यदि वो स्थित विक्रेता है तो अपना सामान उसे जारी किए गए जगह पर और यदि वो चल विक्रेता है, तो उसे दिए गए क्षेत्र के अन्दर ही स्थानीय अधिकारी द्वारा तय की हुई फीस अदा करने के बाद बिक्री कर सकेगी ।

(iii) वो नगर बिक्री समिति के द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के समय तय की गई सभी नियम व शर्तों का पालन करेगी, जिसमें सफाई, जन साधारण के स्वास्थ्य और आवश्यक प्रावधानों का पालन करेगी, बिक्री के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में सफाई रखेगी और रख रखाव आदि के आवश्यक भुगतान करेगा ।

(iv) वो बिक्री प्रमाण पत्र या उसमें दी गई जगह किसी भी रूप में किराए सहित किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं होगा।

(v) वो अलाट की गई जगह पर कोई पक्का निर्माण नहीं करेगा, जब तक कि बिक्री प्रमाण पत्र के अन्तर्गत ऐसी कोई अनुमति ना दी गई हो ।

(vi) वो बिक्री प्रमाण पत्र में दिए गए तिथि व समय के अनुसार बिक्री करेगा ।

(vii) बिक्री का समय समाप्त होने पर अपने सामान को प्रतिदिन उक्त दी हुई जगह से हटा लेगा, यदि वह उस जगह पर किसी भी समय के दौरान किसी और के साथ मिलकर काम करता हो ।

(viii) वो नगर बिक्री समिति के द्वारा लगाई गई सभी नियमों वा शर्तों का पालन करेगा, जो कि फुटकर विक्रेता को जारी किए गए प्रमाण पत्र में दी गई है ।

7. **पहचान पत्र का प्रारूप.**—(1) हर वो व्यक्ति, जिसके पास बिक्री प्रमाण पत्र है, को नगर बिक्री समिति के द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(2) फुटकर विक्रेता को जारी किया जाने वाला नया या नवीनीकृत पहचान पत्र, जैसा भी मामला हो, फार्म 7 में दिए गए प्रारूप के अनुसार होगा ।

(3) पहचान पत्र के गुम होने या खराब होने की स्थिति में, फुटकर विक्रेता नगर विक्रेता समिति के कार्यालय में एफ आई आर की एक प्रति संलग्न करके पहचान पत्र की डुप्लीकेट प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए स्थानीय अधिकारी द्वारा तय किए गए शुल्क की अदायगी करनी होगी ।

अध्याय–IV

बिक्री प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, स्थगन वा रद्द करना

8. **बिक्री प्रमाण पत्र का नवीनीकरण.**—(1) विक्रेता प्रमाण पत्र हर तीन वर्ष बाद स्थानीय अधिकारी के द्वारा निश्चित किए गए शुल्क की अदायगी पर नवीनीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए योजना में दी गई शर्तों को पूरा करना होगा और यह अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होगा ।

Scanned by CamScanner

(2) ऐसा फुटकर विक्रेता, जिसकी बिक्री प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने वाली हो, वो प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से दो महीने पहले नगर बिक्री समिति को फार्म VIII में दिए गए प्रारूप के अनुरूप नवीनीकरण हेतू आवेदन करेगा ।

(3) नगर विक्रेता समिति फुटकर विक्रेताओं की एक सूचि जारी करेगी, जिन्होने बिक्री प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का शुल्क अदा ना किया हो ।

(4) नगर विक्रेता समिति बिना किसी जुर्माने के नवीनीकरण शुल्क की अदायगी की अवधि एक महीने के लिए बढा सकता है ।

(5) बिक्री प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के लिए एक महीने बाद, बिक्री प्रमाण पत्र का नवीनीकरण की तिथि से नवीनीकरण शुल्क तथा स्थानीय अधिकारी द्वारा देरी के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन के लिए लगाए जुर्माने की अदायगी करने पर उक्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जा सकता है ।

(6) यदि कोई फुटकर विक्रेता अपने बिक्री प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के तीन महीने के अन्दर बिक्री प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करवाने में विफल रहता है तो नगर बिक्री समिति उसके बिक्री प्रमाण पत्र को रद्द कर सकती है ।

9. **किन हालात में बिक्री प्रमाण पत्र स्थगित या रद्द किया जा सकता है.**—(1) नगर बिक्री समिति किसी फुटकर विक्रेता का बिक्री प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 10 में दिए गए किसी भी कारण से स्थगित या रद्द कर सकता है ।

(2) यदि नगर बिक्री समिति, लिखित में दिए गए किसी भी कारण से इस बात के लिए यह मानता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 में दिए गए किसी कारण से बिक्री प्रमाण पत्र को रद्द करना बनता है या उक्त विक्रेता की बिक्री गतिविधियों को ऐसी अवधि, जो कि 30 दिन से ज्यादा ना हो, के लिए स्थगित करना बनता है, तो समिति उस विक्रेता को 15 दिन के भीतर एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि क्यों ना बिक्री प्रमाण पत्र के स्थगन को रद्द करने का कारण स्थापित होने की तिथि तक आगे ना बढाया जाए ।

बशर्ते कि जहां ऐसे फुटकर विक्रेता को सुनने के बाद नगर बिक्री समिति का यह विचार हो कि उक्त बिक्री प्रमाण पत्र को रद्द करना चाहिए, तो वो बिक्री प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दे सकती है ।

(3) जहां नगर बिक्री समिति फुटकर विक्रेता के बिक्री प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दे तो ऐसा विक्रेता अपने बिक्री प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र को ऐसी अवधि, जो कि रद्दीकरण आदेश में दी गई हो, के अन्दर नगर बिक्री समिति के अन्दर प्रस्तुत कर देगा और उसका नाम इस मंतव से लगाए गए रजिस्टर से काट दिया जाएगा ।

अध्याय–V

शुल्क, अभिलेख और अंकेक्षण

10. **बिक्री शुल्क.**— नगर बिक्री समिति फुटकर विक्रेताओं की श्रेणी के आधार पर बिक्री शुल्क तय करेगी, जो कि बाजार के दर्जे और उस क्षेत्रें पर निर्भर करेगा, जो कि चण्डीगढ के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है ।

11. **बिक्री शुल्क वसूली, रख रखाव शुल्क व जुर्माना लगाने का ढंग.**—(1) पैसे के मामले में, चाहे वो शुल्क या जुर्माना या अधिकार, जो कि उक्त अधिनियम व नियमों के अनुरूप योजना के अन्तर्गत फुटकर विक्रेताओं के द्वारा देय हो, उसके लिए नगर निगम किसी अनुसुचित बैंक में एक बैंक खाता खोलेगा, जिसे स्थानीय अधिकारी के ऐसे अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा, जैसा कि स्थानीय अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया हो ।

Scanned by CamScanner

(2) फुटकर विक्रेता शुल्क तथा अन्य देय राशियां अपने नाम से और उसे दी गई पंजीकरण संख्या के साथ ऐसे खातें में जमा करा सकता है और इसे इस मकसद के लिए खोले गए पटल पर स्थानीय अधिकारी के कार्यालय में या किसी अन्य जगह पर, जैसा कि समय समय पर स्थानीय अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया हो, अदा भी किया जा सकता है ।

12. **अभिलेख रख–रखाव और अंकेक्षण.**—प्रत्येक नगर बिक्री समिति के खाते को सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी के म्यूनिसिपल कानुन में दिए प्रावधानों के अर्न्तगत अपेक्षित किया जाएगा ।

अध्याय–VI

फुटकर विक्रेताओं के वर्ग

13. **फुटकर विक्रेताओं के वर्ग (अचल विक्रेता व चल विक्रेता) के अतिरिक्त.**—नगर बिक्री समिति चल व अचल विक्रेताओं के अतिरिक्त फुटकर विक्रेताओं के किसी अन्य वर्ग का निर्धारण भी कर सकता है, जो इसके अधिकार क्षेत्र में काम करते हों ।

अध्याय–VII

फुटकर विक्रेताओं का स्थान बदलना या स्थान खाली करवाना

14. **स्थान बदलने का सिद्धांत.**—फुटकर विक्रेताओं के स्थान बदलने के सिद्धांत वहीं रहेंगे, जैसा कि अधिनियम के द्वितीय अनुसुचि के इन्द्राज (जेड बी) में दिए गए है ।

15. **फुटकर विक्रेता का स्थान बदलने का ढंग.**—(1) जहां नगर बिक्री समिति उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा 1 के अन्तर्गत किसी बिक्री ज़ोन या इसके किसी भाग को बिक्री निषेध क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करता है, और इस ज़ोन में फुटकर विक्रेता को नई जगह देने के लिए लिखे तो स्थानीय अधिकारी उसी क्षेत्र में फुटकर विक्रेता को नजदीक में कोई नई जगह अलाट करेगा।

(2) जैसे कि नगर बिक्री समिति उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा 1 के अन्तर्गत किसी बिक्री ज़ोन या इसके किसी भाग को बिक्री निषेध क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करता है, वो फुटकर विक्रेताओं के लिए उपयुक्त जगह की पहचान के लिए एक सर्वे करेगा, जो कि अधिनियम के द्वितीय अनुसुचि के इन्द्राज (जेड बी) के अनुरूप होगा ।

16. **फुटकर विक्रेता के स्थान बदलने या जगह खाली करवाने संबधी नोटिस.**—(1) किसी फुटकर विक्रेता को जगह बदलने या खाली करवाने के लिए आवश्यक नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा 3 के अन्तर्गत निजी तौर पर या पंजीकृत डाक के द्वारा जगह खाली करवाने से पहले फुटकर विक्रेता के नाम पर भेजा जाना चाहिए ।

(2) यदि पंजीकृत डाक बिना दिए वापिस आ जाए तो जिस क्षेत्र में विक्रेता काम करता है, वहां पर उचित जगह पर नोटिस चिपकाया जाए, जहां से उस नोटिस के दिए जाने का विश्वास हो ।

17. **किसी फुटकर विक्रेता का स्थान बदलने या जगह खाली करवाने का ढंग.**—(1) यदि कोई फुटकर विक्रेता उक्त नोटिस प्राप्त करने के 30 दिन के समय में कोई जगह खाली ना करे या नई जगह पर ना जाए तो धारा 15 के अन्तर्गत स्थानीय अधिकारी उसे वहां से हटा सकता है, यदि पुलिस की सहायता की आवश्यकता हो तो वो

Scanned by CamScanner

भी दी जाए और इस तरह से स्थानीय अधिकारी किसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा ऐसे फुटकर विक्रेता के द्वारा बिक्री पर रोक लगा सकता है ।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिक्री प्रमाण पत्र के बिना कोई वस्तु बिक्री करता हो या जिसका प्रमाण पत्र उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत रद्द हो चुका हो, उसे लिखित में 24 घंटे का नोटिस देकर वहां से निकाला जा सकता है और यदि वो विक्रेता उक्त नोटिस जारी करने के 24 घंटे में वो स्थान खाली नहीं करता तो स्थानीय अधिकारी निजी तौर पर उसे वहां से हटा सकता है । यदि पुलिस की सहायता की आवश्यकता हो तो वो भी दी जाए । इस तरह से स्थानीय अधिकारी किसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा ऐसे फुटकर विक्रेता के द्वारा बिक्री पर रोक लगा सकता है ।

(3) प्रत्येक फुटकर विक्रेता जो कि नई जगह पर ना जाए और बिक्री प्रमाण पत्र में दी गई जगह को उस अवधि में खाली ना करे, जो कि उप धारा 1 या उप धारा 2 में दिए गए नोटिस में लिखी गई हो, जैसा भी मामला हो, उसे प्रत्येक दिन की देरी के लिए स्थानीय अधिकारी द्वारा निशचित की गई जुर्माना राशि अदा करनी होगी, जो कि जब्त किए गए माल के मूल्य से अधिक नहीं होगा ।

अध्याय–VIII

सामान को कब्जे में लेना

18. **स्थानीय अधिकारी द्वारा सामान को कब्जे में लेने की विधि.**—उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा-1 के अन्तर्गत सामान को कब्जे में लिए जाने के मामले में, स्थानीय अधिकारी द्वारा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा :—

(i) केवल स्थानीय अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी ही सामान को कब्जे में लेगा ।

(ii) कब्जे में ली गई वस्तुओं की सूची तैयार की जाएगी, जो कि उक्त अधिकारी और विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी ।

(iii) जिस विक्रेता का सामान कब्जे में लिया गया है, उसे फार्म में दिए गए प्रारूप के अनुरूप रसीद स्थानीय अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए ।

19. **कब्जे में लिए गए सामान का क्लेम करना और उसका शुल्क अदा करना.**—वह फुटकर विक्रेता, जिसका सामान कब्जे में लिया गया है, दो कार्य दिवस के अन्दर अपने सामान को क्लेम कर सकता है और ऐसे सभी शुल्क अदा करेगा, जैसा कि स्थानीय अधिकारी द्वारा कहा गया हो ।

अध्याय–IX

फुटकल

20. **अधिनियम की धारा 26 उप धारा 3, के अन्तर्गत सामाजिक लेखा-जोखा करने का तरीका.**— नगर बिक्री समिति अपनी गतिविधियों का सामाजिक लेखा-जोखा साल में कम से कम एक बार अवश्य करेगी ।

21. **फुटकर विक्रेताओं द्वारा जन साधारण के स्वास्थय और सफाई से सम्बंधित नियम व शर्तें.**—(1) स्थानीय अधिकारी फालतू कचरे को फेकने के लिए उचित जगह का चुनाव करेगा, ताकि फुटकर विक्रेताओं द्वारा वातावरण स्वच्छ रखने में सहायता मिले ।

Scanned by CamScanner

(2) फुटकर विक्रेता अच्छी तरह से ढके हुए कूड़ेदान इस्तेमाल करेंगे और फालतू सामान उनमें डालेंगे, जिनकों अच्छे से ढके हुए ड्रमों में डाला जाएगा ।

(3) फुटकर विक्रेता बिक्री वाले स्थान पर गंदगी नहीं फैलाएँगे और सफाई रखेंगे ।

22. फुटकर विक्रेताओं से सम्बंधित अभिलेख व दस्तावेजों का रख–रखाव :—

(1) नगर बिक्री समिति की बैठकों की एजेंडा दस्तावेजों और कार्यवाही का विवरण।

(2) सर्वे का तरीका, इन्द्राज किया गया डाटाबेस (डिजीटल फारमेट में और दस्तावेज, जो कि पहचान और पता तसदीक करने के लिए पेश किए गए) और अंतिम रिपोर्ट।

(3) फुटकर विक्रेताओं को अलाट की गई और नई दी गई जगहों का विवरण ।

(4) अपीलिय समिति और कष्ट निवारण समिति के सभी आदेश ।

(5) जारी किए बिक्री प्रमाण पत्र और पहचान पत्रों का विवरण ।

(6) पांच वर्षीय सर्वे से सम्बन्धित दस्तावेज ।

स्पष्टीकरण.—सर्वे का अभिलेख सब पैरा के सम्बन्ध में प्राप्त किया गया और विभिन्न जगहों की अलाटमैंट, बिक्री प्रमाण पत्र और पहचान पत्र पक्के माने जाएगें ।

(2) अपीलिय समिति इसके पास दायर की गई अपीलों के अभिलेख का रख रखाव करेगी।

(3) कष्ट निवारण समिति इसके पास दायर किए गए आवेदनों के अभिलेख का रख रखाव करेगी ।

(4) स्थानीय अधिकारी फुटकर विक्रेताओं से कब्जे में लिए गए सामान को जब्त करने के बाद फुटकर विक्रेताओं को जारी की गई रसीद की प्रति और विक्रेताओं से प्राप्त जुर्माने के अभिलेख का रख रखाव करेंगे ।

23. **समय बांट कर बिक्री करने का ढंग.**—नगर बिक्री समिति बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार समय बांट कर बिक्री करने की गतिविधियों का संचालन करेगी ।

24. **बिक्री क्षेत्र सम्बन्धित सिद्वांत.**—बिक्री क्षेत्र सम्बन्धित सिद्धांत अधिनियम के पहली अनुसूची के इन्द्राज 3 पर आधारित होंगे ।

25. **बिक्री क्षेत्र की क्षमता, व्यापक जनगणना और सर्वे से सम्बन्धित सिद्वांत.**—बिक्री क्षेत्र की क्षमता, व्यापक जनगणना और सर्वे से सम्बन्धित सिद्धांत नगर बिक्री समिति के द्वारा तय किए जाएगें ।

दिनांक: 30 सितम्बर, 2016.

अनुराग अग्रवाल, आई. ए. एस.,

सचिव, स्थानीय सरकार,

चण्डीगढ प्रशासन ।

Scanned by CamScanner